

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 134/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

गुजर मंडल ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

विनोद दास वगैरह ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

01-11-24

प्रथम पक्ष गुजर मंडल के आवेदन पर थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन (1677/24 दिनांक 29.08.2024) के आलोक में निम्नलिखित विवरण वाले भूमि -

मौजा- बड़की सरिया, थाना- सरिया, खाता नं0- 200, प्लॉट नं0- 03, रकबा- 1.36 एकड़ जमीन चौहद्दी उ0- बैजनाथ मंडल वगैरह, द0- निज, पू0- रास्ता, प0- भोला चमार

पर दिनांक 03.09.2024 को भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा लोक परिशांति को बहाल रखने हेतु उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने तथा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा कारण पृच्छा दाखिल किए। प्रथम पक्ष का कहना है कि उन्हें जमीन सदामंदी एग्रीमेंट से दिनांक 03.01.2017 से प्राप्त है। प्रथम पक्ष को भूमि प्रयाग कोइरी से प्राप्त है तथा प्रयाग कोइरी को उक्त भूमि संवत 1994 फसली साल में बाबू जगन्नाथ राय वो हाकिम राय से बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त है। अंचल कार्यालय सरिया में प्रयाग कोइरी के नाम से पंजी II भोलुम नं0 11 पेज नं0 128 पर जमाबंदी कायम है। द्वितीय पक्ष 17.08.2024 को उक्त जमीन का जबरन घेरान करने लगे अतः विवाद उत्पन्न हुआ। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक सादा हुकुमनामा की छायाप्रति, जमींदारी रसीद की छायाप्रति, सरकारी रसीद की छायाप्रति, ऑफलाईन रजिस्टर II की छायाप्रति, Online रजिस्टर II की छायाप्रति, एक एकरारनामा की छायाप्रति संलग्न करते हैं।

वही दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादित भूमि उनके पूर्वज पचु चमार वल्द नेहाल चमार को बाबू जगरनाथ राय वो बाबू माधो राय से बजरिए हुकुमनामा संवत साल 1989 वर्ष 1932 को बन्दोबस्ती से प्राप्त है।

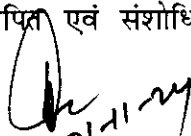
द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करते हैं-

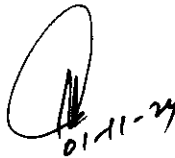
- (1) सादा हुकुमनामा की छायाप्रति;
- (2) क्षतिपूर्ति अधिकार अभिलेख की छायाप्रति;
- (3) फर्द अमीन रिपोर्ट की छायाप्रति;
- (4) जमीन्दारी रसीद की छायाप्रति;
- (5) सरकारी रसीद की छायाप्रति;

अंचल अधिकारी सरिया का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। उक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम पक्ष को एग्रीमेन्ट द्वारा जमीन उपलब्ध कराने वाले प्रयाग कोइरी की जमाबन्दी अंचल कार्यालय में कायम है परन्तु दखल कब्जा के संबंध में अंचल अधिकारी सरिया के द्वारा कोई स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है साथ ही द्वितीय पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी सरिया को राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण द्वितीय पक्ष के कागजात सह दावे की संपुष्टि नहीं हो पाई है।

उपरोक्त विवेचन के साथ ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष सादा हुकुमनामा के जरिए उक्त भूमि पर अपना दावा करते हैं। विवाद हक-हकियत से संबंधित है जिसका विचारण भा० ना० सु० सं० के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः वाद को कोई अंतिम आदेश पारित किए बिना समाप्त घोषित किया जाता है उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित


01.11.24
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया


01.11.24
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया